

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
आपराधिक विविध याचिका संख्या 275/2019

1. राकेश कुमार यादव उर्फ राकेश कुमार यादव
2. बालगोविंद कुमार यादव उर्फ गोविंद कुमार यादव
3. संदीप यादव उर्फ सुभाष कुमार यादव उर्फ संदीप कुमार

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

झारखण्ड राज्य

..... विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंत बिजय सिंह

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बालेश्वर यादव, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए : ए0पी0पी0।

02/दिनांक: 08/02/2019

यह आवेदन ए0बी0ए0 सं0-4524/2018 में पारित 11.10.2018 के आदेश के सशोधन के लिए दायर किया गया है, जिसमें चार सप्ताह आगे तक अदालत में याचिकाकर्ताओं के आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई है।

यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने ए0बी0ए0 सं0-4524/2018 की अग्रिम जमानत अर्जी दी थी और इस न्यायालय ने दिनांक 11.10.2018 के आदेश को अग्रिम जमानत दी थी और याचिकाकर्ताओं को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता उपरोक्त अवधि के भीतर नीचे अदालत में आत्मसमर्पण नहीं कर सके। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि नीचे की अदालत में याचिकाकर्ता के आत्मसमर्पण की अवधि को चार सप्ताह तक बढ़ाया जाय।

उपरोक्त सबमिशन के मद्देनजर ए0बी0ए0 सं0-4524/2018 में पारित 11.10.2018 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि याचिकाकर्ता 08.03.2019 तक अदालत के समक्ष

आत्मसमर्पण करेंगे, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता 1100/- (एक हजार एक सौ) अध्यक्ष/सचिव, झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन के समक्ष अधिक से अधिक 13.02.2019 तक जमा करेंगे और आत्मसमर्पण की तारीख को नीचे की अदालत में रसीद दाखिल करेंगे।

आपराधिक विविध याचिका संख्या 275/2019 की अनुमति है।

इस आदेश की एक प्रति नीचे की अदालत को सूचित की जाए और और इस आदेश की एक प्रति अध्यक्ष/सचिव, झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन को सूचना के लिए भी भेजी जाए।

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)

सुनील/